भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3512
(10 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण मजदूरी और मुद्रास्फीति

3512. श्री गुरजीत सिंह औजलाः
सुश्री मिमी चक्रवर्तीः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2010 के मूल्य सूचकांक की तुलना में जनवरी, 2014 से वर्तमान मुद्रास्फीति दर को समायोजित करने के बाद ग्रामीण मजदूरी में माह-वार वास्तविक वृद्धि कितनी है;
(ख) क्या सरकार की राय है कि देश में ग्रामीण परिवारों का रखरखाव करने के लिए वर्तमान ग्रामीण मजदूरी दर पर्याप्त/अपर्याप्त है;
(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) सरकार का ग्रामीण मजदूरी बढ़ाने का क्या प्रस्ताव है, जिससे बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कृषि और ग्रामीण श्रमिकों संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के □ ंकड़ों का संकलन और रखरखाव श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है (□ धार वर्ष 1986-87=100)(सीपी□ ई-एएल और □ रएल) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसओ) के क्षेत्रीय कार्य प्रभाग (एफओ□ी) द्वारा एकत्र किए गए □ ंकड़ों के □ धार पर चयनित कृषि एवं गैर-कृषि व्यवसायों के संबंध में औसत दैनिक मजदूरी दर के □ ंकड़ों में 20 राज्यों के 600 प्रतिदर्श गांवों का एक निश्चित समूह शामिल होता है। जनवरी, 2014 से सीपी□ ई-□ रएल और गैर कृषि व्यवसाय के संबंध में माह-वार दर **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख) और (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6(1) के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा प्रकाशित कृषि श्रमिकों संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपी□ ई-एएल) के □ धार पर प्रति वर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दरें अधिसूचित करता है। ये मजदूरी दरें प्रति वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल से लागू की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 से

2019-20 तक की अवधि के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मजदूरी दरें **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (महात्मा गांधी नरेगा) योजना के कामगारों को मुद्रा स्फीति की क्षतिपूर्ति करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा प्रकाशित कृषि श्रमिकों संबंधी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपी ई-एएल) के धार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष मजदूरी दरों में संशोधन करता है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 10.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 3512 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

जनवरी, 2014 से सीपीएल-□ रएल तथा गैर-कृषि व्यवसाय के संबंध में माह-वार मजदूरी दर

वर्ष	माह	मजदूरी दर	सी□एल-□ रएल	वर्ष	माह	मजदूरी दर	सी□एल-□ रएल
2014	जनवरी	234.08	759	2017	जनवरी	266.38	876
	फरवरी	234.39	759		फरवरी	267.67	874
	मार्च	232.69	765		मार्च	268.23	872
	अप्रैल	233.21	773		अप्रैल	268.89	876
	मई	232.41	780		मई	269.05	878
	जून	233.63	787		जून	270.03	884
	जुलाई	234.45	801		जुलाई	271.04	890
	अगस्त	236.28	810		अगस्त	272.61	900
	सितंबर	237.20	813		सितंबर	273.73	899
	अक्टूबर	238.69	815		अक्टूबर	274.85	907
	नवंबर	238.36	816		नवंबर	275.86	910
	दिसंबर	240.70	810		दिसंबर	275.72	906
2015	जनवरी	241.32	808	2018	जनवरी	277.31	901
	फरवरी	242.77	806		फरवरी	278.03	896
	मार्च	243.46	807		मार्च	278.94	894
	अप्रैल	243.78	809		अप्रैल	279.20	896
	मई	245.33	816		मई	279.82	899
	जून	245.65	824		जून	280.92	902
	जुलाई	248.27	827		जुलाई	282.05	910
	अगस्त	249.57	836		अगस्त	284.49	915
	सितंबर	250.65	843		सितंबर	285.20	917
	अक्टूबर	249.26	853		अक्टूबर	285.24	920
	नवंबर	250.19	857		नवंबर	286.00	921
	दिसंबर	251.63	857		दिसंबर	287.27	921
2016	जनवरी	253.79	854	2019	जनवरी	288.71	923
	फरवरी	253.52	849		फरवरी	288.95	925
	मार्च	254.53	848		मार्च	289.43	932
	अप्रैल	254.75	854		अप्रैल	289.96	939
	मई	254.79	866		मई	291.20	948
	जून	255.70	874		जून	291.82	957
	जुलाई	256.78	881		जुलाई	292.08	965
	अगस्त	258.33	881		अगस्त	293.22	972
	सितंबर	261.89	877		सितंबर	293.29	983
	अक्टूबर	263.15	881	**सितम्बर, 2019 तक की औसत दैनिक मजदूरी दर को संकलित करके जारी किया गया है।**			
	नवंबर	263.70	883				
	दिसंबर	264.50	881				

वर्ष 2010 के लिए औसत सीपी□ ईएल-□ रएल 552 है।

अनुबंध-II

दिनांक 10.12.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 3512 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक मनरेगा के अंतर्गत अधिसूचित मजदूरी दर

(रू□ए में)

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	□ ंध्र प्रदेश	169	180	194	197	205	211
2	अरुणाचल प्रदेश	155	167	172	177	177	192
3	असम	167	179	182	183	189	193
4	बिहार	158	162	167	168	168	171
5	छत्तीसगढ	157	159	167	172	174	176
6	गोवा	195	208	229	240	254	254
7	गुजरात	167	178	188	192	194	199
8	हरियाणा	236	251	259	277	281	284
9	हिमाचल प्रदेश	गैर अनुसूचित क्षेत्र-154 अनुसूचित क्षेत्र -193	गैर अनुसूचित क्षेत्र -162 अनुसूचित क्षेत्र - 203	गैर अनुसूचित क्षेत्र -170 अनुसूचित क्षेत्र -213	गैर अनुसूचित क्षेत्र -179 अनुसूचित क्षेत्र - 224	गैर अनुसूचित क्षेत्र -184 अनुसूचित क्षेत्र -230	गैर अनुसूचित क्षेत्र -185 अनुसूचित क्षेत्र -231
10	जम्मू और कश्मीर	157	164	173	179	186	189
11	झारखं□	158	162	167	168	168	171
12	कर्नाटक	191	204	224	236	249	249
13	केरल	212	229	240	258	271	271
14	मध्य प्रदेश	157	159	167	172	174	176
15	महाराष्ट्र	168	181	192	201	203	206
16	मणिपुर	175	190	197	204	209	219
17	मेघालय	153	163	169	175	181	187
18	मिजोरम	170	183	188	194	194	211
19	नागालैं□	155	167	172	177	177	192
20	ओ□िशा	164	174	174	176	182	188
21	पंजाब	200	210	218	233	240	241
22	राजस्थान	163	173	181	192	192	199
23	सिक्किम	155	167	172	177	177	192
24	तमिलना□	167	183	203	205	224	229
25	तेलंगाना	-	180	194	197	205	211
26	त्रिपुरा	155	167	172	177	177	192
27	उत्तर प्रदेश	156	161	174	175	175	182
28	उत्तराखं□	156	161	174	175	175	182
29	पश्चिम बंगाल	169	174	176	180	191	191
30	अं□मान और निकोबार	अं□मान जिला-22 निकोबार जिला-235	अं□मान जिला - 228 निकोबार जिला - 241	अं□मान जिला -230 निकोबार जिला -243	अं□मान जिला - 236 निकोबार जिला - 249	अं□मान जिला -250 निकोबार जिला -264	अं□मान जिला - 250 निकोबार जिला - 264

31	दादर और नगर हवेली	182	196	208	218	220	224
32	दमन एवं दीव	170	181	192	195	197	202
33	लक्षद्वीप	195	210	220	237	248	248
34	पुदुचेरी	167	183	203	205	224	229
35	चंीगढ़	227	239	248	265	273	-